रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11062021-227509
CG-DL-E-11062021-227509

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2117] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 11, 2021/ज्येष्ठ 21, 1943
No. 2117] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 11, 2021/JYAISHTHA 21, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2021

का.आ. 2277(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पूर्ववर्ती पर्यावरण और वन मंत्रालय की तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ) के अनुसरण में, (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है) मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श से, एतद्द्वारा राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण, मध्य प्रदेश (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त प्राधिकरण, मध्य प्रदेश कहा गया है।) का निम्नलिखित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए गठन करती है, अर्थात् :

1.	श्री अरूण कुमार भट्ट, डी-11/20, चार इमली, भोपाल	अध्यक्ष;
2.	श्री अनिल कुमार शर्मा, ई-8/67, वसंत कुंज, शाहपुरा, भोपाल	सदस्य;
3.	कार्यकारी निदेशक, पर्यावरण नियोजन और समन्वय संगठन (ईपीसीओ)	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के लिए कार्यभार ग्रहण करेंगे।

3. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश उक्त अधिसूचना में यथा-विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

4. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश राज्य के लिए पैरा 5 के अधीन गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफ़ारिशों पर अपना निर्णय लेगा।

5. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश की सहायता के प्रयोजन के लिए केंद्रीय सरकार, मध्य प्रदेश की राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात एसईएसी, मध्य प्रदेश कहा गया है।) का गठन करेगी जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:

1	2	3
1.	डॉ. प्रवीण चंद्र दुबे, स्कीम-140, आईडीए, ए 1-204, भोपाल	- अध्यक्ष ;
2.	श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, भारतीय वन सेवा, एसडीएक्स-116, न्यू मीनल रेसीडेंसी, भोपाल	- सदस्य ;
3.	प्रो. डॉ. रूबीना चौधरी, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग सांइसेज, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, तक्षशिला कैम्पस, खंडवा रोड, इंदौर (मध्य प्रदेश)	- सदस्य ;
4.	डॉ. ए. के. शर्मा, मकान नं. 61, फेज-। , रिवेरा टाउन, माता मंदिर के पास, भोपाल	- सदस्य ;
5.	प्रो. अनिल प्रकाश, माइक्रोबायोलॉजी विभाग, बरकतउल्लाह विश्वविद्यालय, भोपाल	- सदस्य ;
6.	प्रो. (डॉ.) आलोक मित्तल, रसायन विभाग, मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ टेकनोलॉजी (एमएएनआईटी), भोपाल	- सदस्य ;
7.	डॉ. जयप्रकाश शुक्ला, 96 कुंजन नगर फेज-।।, होशंगाबाद रोड, भोपाल	- सदस्य ;
8.	डॉ. रवि श्रीवास्तव, डी-4/1205, भारत सिटी, इंद्रप्रस्थ आवास योजना, टीला मोड़ पुलिस थाने के पास, गाजियाबाद	- सदस्य ;
9.	सदस्य-सचिव, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भोपाल	- सदस्य सचिव ;

6. एसईएसी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की समयावधि के लिए कार्यभार संभालेंगे।

7. एसईएसी, मध्य प्रदेश उक्त अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग और प्रक्रियाओं का पालन करेगा।

8. एसईएसी, मध्य प्रदेश सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सहमति प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और यदि सहमति प्राप्त नहीं हो सकती, बहुमत का विचार अभिभावी होगा।

9. हितों के किसी विवाद से बचने के लिए, -

(क) प्राधिकरण, मध्य प्रदेश और एसईएसी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्शी संगठन और किस परियोजना प्रस्तावक के साथ जुड़े हुए हैं।

(ख) प्राधिकरण, मध्य प्रदेश और एसईएसी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान ऐसी किसी भी परियोजना के लिए पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने में न तो कोई परामर्श देंगे, न ही उससे जुड़ेंगे, जिसका मूल्यांकन प्राधिकरण, मध्य प्रदेश और एसईएसी, मध्य प्रदेश द्वारा किया जाना है; और

(ग) यदि गत पाँच वर्षों में प्राधिकरण, मध्य प्रदेश और एसईएसी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष या किसी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए कोई परामर्शी सेवा प्रदान की हैं या ईआईए अध्ययनों का संचालन किया हैं, ऐसी स्थिति में, वे ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित की जाने वाली किसी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण, मध्य प्रदेश और एसईएसी, मध्य प्रदेश की बैठकों में स्वयं सम्मिलित होने से बचेंगे।

10. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश और एसईएसी, मध्य प्रदेश के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार एक अभिकरण को अधिसूचित करेगी और वह सचिवालय उनके सभी सांविधिक कार्यों के संबंध में आवास, परिवहन और ऐसी अन्य सुविधाओं सहित सभी वित्तीय और संभार तंत्र सहायता प्रदान करेगा ।

11. प्राधिकरण, मध्य प्रदेश और एसईएसी, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष और सदस्यों को बैठक शुल्क, यात्रा भत्ता और महंगाई भत्ता मध्य प्रदेश राज्य सरकार के नियमों के अनुसार दिया जाएगा।

[फा. सं. जे-11013-63/2007.आईए-II(I) पार्ट-I]

डॉ. सुजीत कुमार वाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2021

S.O. 2277(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government in consultation with the State Government of Madhya Pradesh, hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Madhya Pradesh (hereinafter referred to as the Authority, Madhya Pradesh) comprising of the following Members, namely: -

1	2	3
1.	Sh. Arun Kumar Bhatt D-11/20, Char Imli, Bhopal	-Chairman;
2.	Sh. Anil Kumar Sharma E-8/67, Basant kuynj, Shahpura, Bhopal	-Member;
3.	Executive Director, The Environmental Planning and Coordination Organisation (EPCO)	-Member-Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Madhya Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Madhya Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

4. The Authority, Madhya Pradesh shall take its decision on the recommendations of the State Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 5 for the State of Madhya Pradesh.

5. For the purpose of assisting the Authority, Madhya Pradesh, the Central Government in consultation with the State Government of Madhya Pradesh, hereby constitutes the State Level Expert Appraisal

Committee (hereinafter referred to as SEAC, Madhya Pradesh) comprising of the following Members, namely: -

1	2	3
1.	Dr. Praveen Chandra Dubey Scheme-140, IDA, A1-204, Bhopal	-Chairman;
2.	Sh. Raghvendra Shrivastva, Indian Forest Service SDX-116, New Minal Residency, Bhopal	-Member;
3.	Prof. Dr. Rubina Chaudhary Faculty of Engineering Sciences, Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Takshila Campus, Khandwa Road Indore, (M.P.)	-Member;
4.	Dr. A.K. Sharma House No. 61, Phase 1, Rivera Towne, Near Mata Mandir, Bhopal	-Member;
5.	Prof. Anil Prakash Department of Microbiology, Barkatullah University, Bhopal	-Member;
6.	Prof. (Dr.) Alok Mittal Department of Chemistry, Maulana Azad National Institute of Technology, (MANIT), Bhopal	-Member;
7.	Dr. Jai Prakash Shukla 96, Kunjan Nagar Phase-II, Hoshangabad Road, Bhopal	-Member;
8.	Dr. Ravi Shrivastva D-4/1205, Bharat city, Indraprastha Awas Yojana Near Teela Mode Police Thana, Ghaziabad	-Member;
9.	Member Secretary, Madhya Pradesh Pollution Control Board, Bhopal	-Member-Secretary.

6. The Chairman and Members of SEAC, Madhya Pradesh shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

7. The SEAC, Madhya Pradesh shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

8. The SEAC, Madhya Pradesh shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

9. In order to avoid any conflict of interest, -

(a) the Chairman and Members of the Authority, Madhya Pradesh and SEAC, Madhya Pradesh shall declare as to which consulting organization they have been associated with and also the project proponents;

(b) the Chairman and Members of the Authority, Madhya Pradesh and SEAC, Madhya Pradesh shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environmental Impact Assessment (EIA) Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Madhya Pradesh and SEAC, Madhya Pradesh during their tenure; and

(c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Madhya Pradesh and SEAC, Madhya Pradesh have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meeting of the Authority, Madhya Pradesh and SEAC, Madhya Pradesh in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The Government of Madhya Pradesh shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Madhya Pradesh and SEAC, Madhya Pradesh and the Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all their statutory functions.

11. The sitting fee, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority, Madhya Pradesh and SEAC, Madhya Pradesh shall be paid as per the rules of the State Government of Madhya Pradesh.

[F. No. J-11013-63/2007-IA.II(I) Pt.I]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.